रामचंद्र-[illegible] मु.न. 47/2020

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible]7/24	पत्रावली पेश। पक्ष अनुपस्थित पुकारा गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.7.24 को पेश हो [signature]	
23.7.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47 / 2020

1 रामचन्द्र पुत्र जोधाराम उम्र 70 साल जाति जाट निवासी भादवासी, तहसील व जिला सीकर राज.।
2 महेश पुत्र गणपत उम्र 28 साल
3 सुनिता पुत्री गणपत उम्र 30 साल
4 सुमन पुत्री गणपत उम्र 29 साल
5 भगवानी पत्नी गणपत उम्र 59 साल
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

1 बनवारी लाल उम्र 40 साल पुत्र पन्नालाल
2 मंगलाराम उम्र 41 साल पुत्र पन्नालाल
3 रामचन्द्र उम्र 34 साल पूत्र पन्नालाल
4 पतासी देवी पत्नी भगवानाराम उम्र 80 साल
5 रणवीर पुत्र भगवानाराम उम्र 40 साल
6 कैलाश पुत्र जोधाराम उम्र 55 साल
7 दिनेश पुत्र बलबीर उम्र 56 साल
8 भगवती पुत्री जोधाराम उम्र 50 साल
9 भागोती पत्नी श्री बलबीर उम्र 56 साल
10 विद्याधर पुत्र श्री शैतान सिंह
11 हीरा देवी पत्नी श्री शैतान सिंह
12 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कटराथल जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

13 भूमि धारक तहसीलदार जी तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील योग्य अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी
सीकर के निर्णय दिनांक 05.06.2020
प्रकरण संख्या 75/2019 बउनवानी
बनवारी लाल आदि बनाम विद्याधर
आदि के विरूद्ध अपील।

उपस्थिति :

1. श्री जवाहरलाल जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानूराम, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेन्द्रप्रसाद जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.7.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा 75/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण 10 से 14/अपीलांट एव प्रार्थीगण 1 से 9/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 की ओर से धारा 251 ए का आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 237/1 रकबा 1.50 हैक्टेयर दक्षिण सींव के सहारे–सहारे 0.0500 हैक्टेयर भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 238 रकबा 1.70 हैक्टेयर की उत्तरी सींव के सहारे–सहारे 0.0500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 236 रकबा 0.0200 हैक्टेयर में से दक्षिणी ओर 0.0050 हैक्टेयर भूमि एवं 547/239 रकबा 3.25 हैक्टेयर में से उत्तरी सींव के सहारे सहारे 0.0558 हैक्टेयर भूमि एवं प्रार्थी संख्या 5 व 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 2.75 हैक्टेयर में से दक्षिणी सींव की ओर 0.1058 हैक्टेयर भूमि रास्ते में, अर्थात संलग्न नक्शे में ए.बी.सी. डी.ई. से बरंग लाल सुर्ख से दर्शित है को रास्ते के रूप में कटान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे एवं प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 547/239 रकबा 3.25 हैक्टेयर में से 0.0500 हैक्टेयर भूमि पश्चिमी उत्तरी कोने की भूमि जो संलग्न नक्शे में डी.एफ से दर्शित है, की से खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने नाम की जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य की ग्राम भादवासी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 547/239 के कोई रास्ता नहीं है का कथन सर्वथा मिथ्या, मनगढंत क्यास के आधार पर वर्णित किया है कृषि भूमि खसरा नम्बर 547/239, 423, 428 के कटानशुदा रास्ता मौके पर मौजूद व चालू है उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेन्ट वर्ष 1995 अर्थात लगभग 20 साल से आवागमन करते है खेत खसरा नम्बर 547/239 में आवागमन हेतु सुगम व न्यूनतम दुरी का रास्ता भादवासी आम रास्ता से खेत खसरा नम्बर 245/1 की उतरी सींव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के सहारे सहारे होता खेत खसरा नम्बर 547/239 की पश्चिमी सींव में प्रवेश कर मध्य तक जाता है जिसे लाल स्याही से अंकित कर रास्ता के खसरा नम्बर 517/240 से दर्शित किया है जो राजस्व नक्शा ट्रेस परिशिष्ट संख्या 2 है उक्त प्रमाणित दस्तावेजात राजस्व रिकार्ड की उनदेखी कर विचारण न्यायालय के निर्णय पारित किया है इसलिए कानून निर्णय दिनांक 05.06.2020 निरस्त होने योग्य है जो दस्तावेज परिशिष्ट संख्या 3 है। विचारण न्यायालय में आईएलआर कुड़ली व पटवारी हल्का भादवासी की फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 को प्रथम दृष्टया अवलोकन से प्रमाणित है कि उक्त फर्द जांच मौका रिपोर्ट आईएलआर कुडली व पटवारी हल्का से साज कर बाला बाला बिना मौके की जांच किये की गलत तैयार करवायी है इसलिए जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.2020 विचारण न्यायालय ने पारित कर बहुत बड़ी भूल की है। अतः निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलांट रामचन्द्र वृद्ध व्यक्ति है जिन्हें आंखों से कम दिखायी देता है एक बार माह अगस्त 2020 में दुर्घटनाग्रस्त भी हो गये थे जिससे उनके सीर व शरीर पर गंभीर चोटे आयी है जिस वजह से मानसिक रूप से काफी पिड़ित रहा है अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने अपीलान्ट को कहा कि अपनी कृषि भूमियों का बंटवारा न नामान्तकरण की कार्यवाही करवानी है इसलिए आप इन कागजों पर हस्ताक्षर कर दो तो अपीलान्ट ने कागजों को पढने की कोशिश की तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने कहा कि अपने बंटवारा व नामान्तकरण के कागत है आप विश्वास करो तो अपीलान्टगण ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 पर विश्वास कर हस्ताक्षर कर दिये रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्टगण को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाये है इसलिए कानून निर्णय दिनांक 05.06.2020 निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के आवेदन में अपीलांट आवेदक है। आवेदन पर अपीलांट के हस्ताक्षर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आवेदक अपीलांट का वकालतनामा संलग्न है। वकालतनामें पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर आवेदक अपीलांट के अधिवक्ता ने हस्ताक्षर कर आवेदन स्वीकार करने में सहमति प्रदान की है। विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में धारा 251 ए के आवेदन में अपीलांट आवेदक है। आवेदन पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में आवेदक अपीलांट का वकालतनामा संलग्न है। वकालतनामें पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर आवेदक अपीलांट के अधिवक्ता ने हस्ताक्षर कर आवेदन स्वीकार करने में सहमति प्रदान की है। विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के हस्ताक्षर छलकपट से करवाये गये है। अपीलांट के हस्ताक्षर छलकपट से करवाये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते है।

प्रस्तुत प्रकरण में आईएलआर की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.03.2020 में स्पष्ट अंकित है कि प्रस्तावित रास्ता मौजुदा कटानी रास्ते से आवेदित भूमि तक पहुचने का लघुत्तम दूरी का है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है अर्थात कोई निर्माण नहीं है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में निर्णय पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। इस प्रकरण में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत वकालतनामें को कूटरचित बताते हुये एफआईआर संख्या 124/2021 दर्ज करवाई थी। इस एफआईआर में पुलिस द्वारा एफआर प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.05.2024 से एफआर स्वीकार की जा चुकी है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटिशन को खारिज किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर